


# राजकीय पालीटेक्निक नगरिया मोड़ एटा

छात्रावास आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र (सत्र 2024-25)

1. छात्र का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. माता का नाम : .....
4. अभिभावक का नाम: .....
5. जन्म तिथि : .....
6. स्थायी पता : .....



7. स्वयं का मोबाइल नं..... पिता का मो०नं..... अभिभावक का मो०नं.....
8. स्वयं का आधार नं..... स्वयं का e-mail.....
9. स्वयं का वाट्सएप नं..... पिता/अभि० का वाट्सएप नं.....
10. वर्ग - (a).(सामान्य/ अ०पि०व०/अनु०जाति/अनु०जनजाति) ..... (b). जाति.....
11. कोविड वेक्सिनेशन विवरण - प्रथम डोज दिनांक:..... द्वितीय डोज दिनांक:.....
12. मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र संख्या : ..... दिनांक:.....
13. Jeecup Roll No..... Marks Obtained.....
14. High Roll No..... Marks Obtained..... Passing Year.....
15. Intermediate Roll No..... Marks Obtaine..... Passing Year.....
16. ITI Trade..... Passing year..... Marks Obtaine.....
17. पालीटेक्निक में प्रवेशित कक्षा ..... Trade.....
18. स्थानीय संरक्षक (यदि हो) का नाम व पता : .....

..... Mob.No.....(संबन्ध).....  
मै .....पुत्र श्री ..... छात्र प्रथम / द्वितीय वर्ष.....  
अभियंत्रण शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी सूचनाये सत्य हैं। मै छात्रावास के समस्त नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ। संस्था एवं छात्रावास नियम व अनुशासन में किसी भी प्रकार शिथिलता पाये जाने पर मेरा छात्रावास आवंटन स्वतः निरस्त हो जायगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।  
दिनांक:

संलग्नक: आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र  
कोविड वेक्सिनेशन प्रमाणपत्र, jeecup allotment letter,  
पालीटेक्निक में प्रवेश का प्रमाण,

(छात्र के हस्ताक्षर)  
कक्षा .....

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक नगरिया मोड़ एटा

(कार्यालय उपयोगार्थ)

छात्र .....पुत्र श्री ..... प्रथम वर्ष ..... अभियंत्रण को छात्रावास स्थित  
कमरा नम्बर ..... आवंटित किया जाता है।

(छात्रावास अधीक्षक)

(प्रधानाचार्य)

## छात्रावास के नियम

- प्रत्येक कमरे में तीन छात्रों के रहने की व्यवस्था है अतः कमरा तीन छात्रों को आवंटित किया जायेगा।
- छात्रावास के कमरे में बाहरी व्यक्ति अथवा दिवाछात्र संस्थागत के पाये जाने पर बुलाकर लेकर आने वाले आवासीय छात्र का आवंटन स्वयं निरस्त की श्रेणी में आयेगा अतः उसका सामान आदि बाहर कर निष्काषित कर दिया जायगा।
- बिना अनुमति के छात्रावास से अनुपस्थित पाये जाने पर आवंटन तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो जायेगा।
- छात्रावास भवन, फर्नीचर, विद्युत, पानी आदि व्यवस्था को क्षति पहुँचाने वाले छात्र को तत्काल निष्काषित करते हुये क्षति पूर्ति की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबन्धित छात्र का होगा।
- छात्रावास में हीटर / इलेक्ट्रिक प्रेस/ इलेक्ट्रिक केतली / इन्डक्शन कुकर आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। कमरे में उक्त प्रकार की सामग्री पाये जाने पर उस माह छात्रावास के सम्पूर्ण विद्युत बिल की भरपाई संबन्धित छात्र से करी जायेगी।
- कमरे में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री तैयार करना / बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- मैस से कमरे पर किसी भी प्रकार का meal लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उल्लंघन किये जाने पर दोषी को छात्रावास से निष्काषित कर दिया जायेगा।
- प्रत्येक संस्था कार्य दिवस में छात्रावास प्रातः 10.00 बजे बन्द कर दिया जायेगा जोकि संस्था बन्द होने के उपरान्त सांयकाल 5.00 बजे ही खोला जायेगा।
- को-ओपरेटिव मैस संचालित होने की दशा में सम्पूर्ण माह की धनराशि देय होगी।
- रात्री 9.00 बजे के बाद कोई भी छात्र किसी भी दशा में किसी भी अन्य के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। अन्य कमरे में पाये जाने पर छात्रावास से निष्काषित कर दिया जायगा।
- छात्र अपने valuables की सुरक्षा के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे। संस्था प्रशासन इस संबन्ध में किसी प्रकार का कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं करेगा।
- तख्त पर हमेशा दरी / गद्दा / चादर बिछा हुआ रखा जाएगा।

मैंने उपरोक्त समस्त नियमों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं .....पुत्र श्री  
..... कक्षा ..... उपरोक्त नियमों के अनुसार आचरण करने का वचन  
देता हूँ। मेरे आचारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता परिलक्षित होने पर मेरा छात्रावास आवंटन स्वतः  
निरस्त हो जायगा तथा मैं मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का पात्र हूँगा।

दिनांक:

(छात्र के हस्ताक्षर)

कक्षा .....